फर्द अहकाम

रामजीलाल आदि बनाम राकेश वर्मा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible]

संख्या 56/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
01/7/24	पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. [illegible] के कारण स्थगित पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते ~~तलबी / जवाब~~ दिनांक 27/8/24 को पेश हो [हस्ताक्षर]	
27/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप० अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर रजि० एडी० रसीद पेश की। [illegible] पत्रावली O9 R5 में नोटिस तामील की जावेगी। पत्रावली दिनांक 23/9/24 को पेश हो [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी [illegible]	
23/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/10/24 को पेश हो [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी [illegible]	
17/10/24	पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. [illegible] के कारण स्थगित पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 02/12/24 को पेश हो [हस्ताक्षर]	
02/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०। वकील पक्षकार की बहस सुनी गई। तत्पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 05/12/24 को पेश हो [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

रामजीलाल वगै0 बनाम सरकार वगै0

संख्या : 56/2019

...नांक आज्ञा ... कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
...5.12.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 44 रकबा 6.37है0 भूमि वाकै ग्राम बासना पटवार हल्का बासना तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित भूमि है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजकीय भूमि है। खसरा नम्बर 209/1मि. व 209/2 कुल रकबा 35 बीघा 11 बिस्वा भूमि है जिसमे से 10 बीघा भूमि की खसरा गिरदावरी संवत 2052 से 2055 मे 10 बीघा भूमि आबादी दर्ज है तथा खसरा नम्बर 209/1मि. व 209/2 के हाल खसरा नम्बर 44 रकबा 6.37है0 कायम किये गये है जिनमे से खसरा नम्बर 44 में 1 बीघा भूमि मे प्रार्थीगण के पुख्ता मकानात व खाम बाडे मय विद्युत कनेक्शन बने हुये है। यहॉ यह उल्लेख किया जाना समाचिन है कि प्रार्थीगण के मकान ग्राम बासना व ग्राम गुर्जरो का बास बासना की सीमा पर बने हुये है जिनमें कुछ भाग ग्राम बासना में आता है तथा कुछ भाग ग्राम गुर्जरो का बास बासना मे आते है जिनकी जगह ग्राम बासना के खसरा नम्बर 181/44 की तरमीम प्रार्थीगण के मकानों की जगह कर दी गई जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः खसरा नम्बर 181/44 की तरमीम प्रार्थीगण के पुख्ता बने हुये मकानो व बाडों की जगह छोडकर तरमीम दुरूस्त करते हुये नये सिरे से खसरा नम्बर 181/44 की तरमीम कायम करने के आदेश दिये जाकर नक्शा तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में रिपोर्ट में अंकित्त बिन्दूओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बासना में खसरा नम्बर 44 रकबा 3.87है किस्म चरागाह दर्ज रिकार्ड है जो कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे राजकीय भूमि है। हाल खसरा नम्बर 44 जिसके साबिक खसरा नम्बर 209/1 मि. व 209/2 मे से खसरा नम्बर 181/44 रकबा 2.50है0 किस्म गै0मु0स्कूल का मैदान राजकीय मा0 वि0 बासना (आवंटन लीज) की गई थी। जिसकी प्रस्तावित नक्शें अनुसार हाल सेटलमेंट नक्शे व आनलाईन सेग्रीगेशन नक्शें में खसरा नम्बर 181/44 की तरमीम हो रखी है। खसरा नम्बर 181/44 ग्राम गुजरो का बास की सीमा के लगावा है। उक्त खसरा नम्बर के आंशिक भाग में वादीगण के पक्के मकान बाडे बने हुए है तथा उक्त खसरा नम्बर के बीच से सडक निकल रही है। वादीगण उक्त खसरा नम्बर 181/44 की तरमीम मे आंशिक भाग में पक्के मकान बाडे बने हुए है उसमें संशोधन दुरूस्त कराना चाहता है। उक्त खसरे 181/44 तरमीम	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

दुरूस्त योग्य नही है। पूर्व तरमीम सही की हुई है।

अतः वकील प्रार्थीगण व पैरोकार की बहस का मनन करने एवं पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलास सुना गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़